विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2024 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-7 का उत्तर :

प्रश्न	उत्तर
*7(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम पंचायत-गंजारी, वि0ख0-आराजी लाईन, तहसील-राजातालाब, जनपद-वाराणसी में खाद्यान्न वितरण में हो रही अनियमितताओं के कारण उप जिलाअधिकारी राजातालाब वाराणसी से पत्रांक 189/उ0जि0(रा0ता0)-आपूर्ति/2023 दिनांक 28 जून, 2023 के माध्यम से शिकायत कर्ताओं से अभिलेख/साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र जारी किया गया है?	जी हाँ।
(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त के संबंध में संबंधित शिकायत कर्ताओं द्वारा अभिलेख/साक्ष्य कब प्रस्तुत किये गये है और अब तक उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही की गयी है और क्या कार्यवाही किया जाना अभी विचाराधीन है?	जिलाधिकारी, वाराणसी के पत्र सं0-541, दिनांक 23/07/2024 के अनुसार संबंधित शिकायतकर्ता श्री विनय सिंह द्वारा दिनांक 24/07/2023 को साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। तदोपरान्त शिकायतकर्ता व उचित दर विक्रेता श्री सुभाष उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के सम्यक् जॉचोपरान्त विक्रेता को दोषी पाए जाने पर जिलाधिकारी, वाराणसी की अनुमति दिनांक 29/06/2024 के अनुपालन में विक्रेता के विरूद्ध ई0सी0 एक्ट के अंतर्गत स्थानीय थाना जंसा में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0-0125/2024 दर्ज कराते हुए, अन्तिम विभागीय कार्यवाही के अंतर्गत उपजिलाधिकारी, राजातालाब के आदेश सं0-64/ उ0जि0(रा0ता0)-दुकान/2024, दिनांक 29/06/2024 द्वारा उसकी उचित दर दुकान का अनुबन्ध-पत्र निरस्त कर दिया गया है।
(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेगे?	उपरोक्तानुसार।
(घ) यदि नही, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री ।